न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः– उज्ज्वल राठौड़, I.A.S.

प्रकरण संख्या –34/2020 (अपील)

1. मांगीलाल आत्मज जगन्नाथ नायक
2. कन्हैयालाल आत्मज जगन्नाथ जाति नायक निवासीगण किशनपुरा कैथून तहसील लाडपुरा जिला कोटा–राज.

–अपीलाण्ट.

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा
2. राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय किशनपुरा कैथून तहसील लाडपुरा जिला कोटा जरिये प्रधानाध्यापक

–रेस्पोडेन्ट.

अपील अन्तर्गत धारा 75 लै0 रे0 एक्ट बनाराजगी आदेश दिनांक 25.04.2011 नामा0 सं0 354 न्यायालय तहसीलदार लाडपुरा, जिला कोटा

निर्णय

दिनांक– 25.11.2020

1. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, लाडपुरा द्वारा ग्राम किशनपुरा कैथून में नामा0 सं0 354 में दिनांक 25.04.2011 को आदेश पारित किया कि" मुताबिक आदेश एरा.डी.ओ. कमांक/1707 दिनांक 26.11.2010 नामान्तकरण स्वीकार है । पटवारी हल्का लीजडीड निष्पादित कराना सुनिश्चित करें ।"

2. उक्त आदेश की अप्रसन्नता में यह अपील तहसीलदार लाडपुरा द्वारा इस न्यायालय में दिनांक 02.07.2020 को पेश कर कथन किया है कि ग्राम किशनपुरा तहसील लाडपुरा में खाता सरकार की सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 276 की 0.32 हे0 पर प्रार्थीगण का 50–60 वर्षो से लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है और वर्तमान में कब्जा काश्त चला आ रहा है और अपीलान्टान के खिलाफ धारा 91 ले0रे0ए0 की कार्यवाही की जाती रही है और जुर्माना आदि जमा करवाया जाता रहा है । उक्त भूमि को एसडीओ लाडपुरा कोटा ने दिनांक 26.11.2010 को रेस्पो0 नं0 2 को खेल के मैदान के लिये आवंटित करदी गयी जबकि उक्त भूमि कभी भी खेल का मैदान के रूप में नहीं रही है तथा उक्त रकबा खेल के मैदान के लिये काफी छोटा है । तथा स्कूल से दो किलो मीटर की दूर पर स्थित है । अधीनस्थ न्यायालय ने ग्राम किशनपुरा कैथून की आराजी ख0नं0 276 रक़बा 0.32 हे0 भूमि का इंतकाल फौरी तौर पर बिना जांच किये व बिना भूमि के कब्जे की रिपोर्ट तलब किये रेस्पो0 नं0 2 के पक्ष में तस्दीक करने में त्रुटि की है । उपरोक्त भूमि को अपीलान्टान काश्त कर अपना व अपने परिवार का पालन पोषण करते चले आ रहे है । तथा उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में सिवायचक दर्ज होने के कारण अपीलान्टान द्वारा जुर्माना आदि जमा करते आ रहे है उक्त

जिला कलेक्टर
कोटा

भूमि पर अपीलान्टान का कब्जा होने के अलावा किसी भी व्यक्ति का कभी भी कोई कब्जा नहीं रहा है ओर कृषि के अलावा अन्य उपयोग में नहीं आयी है । अधीनस्थ न्यायालय ने इंतकाल तस्दीक करते समय यह शर्त रखी है कि पटवारी उक्त भूमि की लीजडीड निष्पादित करवाना सुनिश्चित करें । लीजडीड तभी निष्पादित की जा सकती है जबकि उक्त भूमि पर रेस्पो0 नं0 2 को कब्जा दे दिया गया हो जबकि उक्त भूमि पर रेस्पो0 का कोई कब्जा नहीं है और आज भी अपीलान्टान का कब्जा काश्त है तथा उडद की फसल खडी हुई है, इससे यह प्रमाणित है कि लीजडीड निष्पादित नहीं हुई है, इस कारण खोला गया इंतकाल खारिज होने योग्य है । अपीलान्टान को नामान्तकरण खुलने की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 23.6.2020 को रेस्पो0 अपीलान्टान के कब्जा की उक्त भूमि पर आये और जबरन बेदखल करने की धमकी दी तथा बताया कि उक्त भूमि राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय किशनपुरा कैथून जिला कोटा को खैल मैदान हेतु आज से 10 वर्ष पूर्व ही आवंटन हो चुकी है बताने पर तथा उक्त भूमि से अपीलान्टान को बेदखल कर कब्जा प्राप्त किया जावेगा, कहने पर हुई । उक्त जानकारी होने पर अपीलान्टान ने उक्त भूमि का इंतकाल की नकल प्राप्ति हेतु दिनांक 25.6.2020 को आवेदन पेश कर दिनांक 30.6.2020 को नकल प्राप्त होने पर अपील पेश की गई । अपीलान्टान को उक्त आवंटन का अथवा इंतकाल खोलने की कोई जानकारी इससे पूर्व नहीं हुई । इस कारण दिनांक 25.4.2011 से दिनांक 25.6.2020 तक की अवधि को कन्डोन की जाकर अपील अवधि मध्य पेश है ।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी किये गये, रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित । वकील अपीलान्ट और राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई ।

4. वकील अपीलान्ट द्वारा अपील मेमों में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने ग्राम किशनपुरा कैथून की आराजी ख0नं0 276 रकबा 0.32 हे0 भूमि का इंतकाल फौरी तौर पर बिना जांच किये व बिना भूमि के कब्जे की रिपोर्ट तलब किये रेस्पो0 नं0 2 के पक्ष में तस्दीक करने में त्रुटि की है । उपरोक्त भूमि को अपीलान्टान काश्त कर अपना व अपने परिवार का पालन पोषण करते चले आ रहे है । तथा उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में सिवायचक दर्ज होने के कारण अपीलान्टान द्वारा जुर्माना आदि जमा करते आ रहे है उक्त भूमि पर अपीलान्टान का कब्जा होने के अलावा किसी भी व्यक्ति का कभी भी कोई कब्जा नहीं रहा है ओर कृषि के अलावा अन्य उपयोग में नहीं आयी है । अधीनस्थ न्यायालय ने इंतकाल तस्दीक करते समय यह शर्त रखी है कि पटवारी उक्त भूमि की लीजडीड निष्पादित करवाना सुनिश्चित करें । लीजडीड तभी निष्पादित की जा सकती है जबकि उक्त भूमि पर रेस्पो0 नं0 2 को कब्जा दे दिया गया हो जबकि उक्त भूमि पर रेस्पो0 का कोई कब्जा नहीं है और आज भी अपीलान्टान का कब्जा काश्त है तथा उडद की फसल खडी हुई है, इससे यह प्रमाणित है कि लीजडीड निष्पादित नहीं हुई है, इस कारण खोला गया इंतकाल खारिज होने योग्य है ।

5. पेरोकार सरकार द्वारा अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्ट यह अपील मात्र कब्जे के आधार पर प्रस्तुत की गई है, जबकि उक्त भूमि सरकारी विभाग

राजकीय उ0प्राथमिक विद्यालय को खैल मैदान हेतु आवंटित की गई है जिसका नामान्तकरण तहसीलदार लाडपुरा द्वारा तस्दीक किया गया है, इसमें कोई कानूनी त्रुटि नहीं है, सरकारी भूमि पर अपीलान्ट का कोई अधिकार नहीं है । अतः अपील खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें ।

6. हमने वकील अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी व बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया । अपीलांट द्वारा यह अपील तहसीलदार, लाडपुरा द्वारा ग्राम किशनपुरा कैथून में नामा0 सं0 354 में दिनांक 25.04.2011 को पारित आदेश के विरूद्व लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र के साथ पेश की गई है, अपील लगभग 9 वर्ष बाद पेश की गई है तथा लिमिटेशन प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यानुसार विलम्ब के लिये बताए गये कारण विलम्ब को क्षम्य करने के लिए पर्याप्त नहीं है किन्तु न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य किया जाकर अपील का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर निस्तारण किया जाना उचित समझते है । अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का स्वीकार किया जाता है ।

7. उपखण्ड अधिकारी कोटा द्वारा ग्राम किशनपुरा कैथून की खसरा नम्बर 276 की 0.32 हे0 भूमि राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय किशनपुरा को खैल मैदान हेतु आवंटित की गई थी, किसी उपयुक्त सिवायचक भूमि को राजकीय भवनो /विद्यालयों को भवन एवं खैल मैदान आदि के प्रयोजन के लिए आवंटन प्राथमिकता से किया जाने का प्रावधान है, अपीलान्ट ने कब्जे के आधार पर उक्त आवंटित भूमि के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के नाम खोले गये नामान्तकरण को चुनोती देते हुए अपील प्रस्तुत की गई है जो विधि एवं न्यायसंगत नहीं है, यदि कोई व्यक्ति सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करता है तो वह दण्डनीय होता है, इस प्रकार अपीलान्ट द्वारा अपील में प्रस्तुत तथ्य आधारहीन एवं विधि विरूद्व होने से अपील खारिज योग्य है ।

8. परिणामस्वरूप अपील अपीलांट आधारहीन एवं विधि विरूद्व होने से खारिज की जाती है, अधीनस्थ न्यायालय का ग्राम किशनपुरा के नामा0 सं0 354 आदेश दिनांक 25.4.2011 यथावत रखा जाता है ।

9. निर्णय आज दिनांक 25.11.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उज्ज्वल राठौड़)
जिला कलेक्टर, कोटा

जिला कलेक्टर
कोटा